

220



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश गवालियर

तारीख प्रमाण - 10/8/2008

प्रकरण क्रमांक

1 2008 निगमानी - 1058-1109

श्री ज्ज. म. सुबेदी
अभिभावक कार्य क्षेत्र
उच्च न्यायालय

11/8/08
A/S

१- सोहनबाई पत्नि हीरालाल पाट्टीदार
वय ४७ वर्ष धर्म कृष्ण निवासी ग्राम
सुभाला तहसील सीतामऊ जिला मन्दासौर

२- धना पिता हरीराम वय ४१ वर्ष जाति
बलार्ह धर्म कृष्ण निवासी ग्राम सोदरामाता
तहसील सीतामऊ जिला मन्दासौर

----- वावेदकगण

विश्व

मांगूबाई पिता हरीराम वय ५० वर्ष जाति
कुमारवर्त-धर्म कृष्ण निवासी ग्राम तम्बोलिया
तहसील सीतामऊ जिला मन्दासौर

----- बनावेदक

निगमानी अन्तर्गत धारा ५० मू०रा०सहित १६५६

बनाराजी निर्णय अपर वायुक्त महोदय उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय निर्णय दिनांक २०-७-२००६ प्रकरण क्रमांक

२४३/०७-०८ अपील विद्वतीय ।

माननीय महोदय,

असवेदकगण , अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर वायुक्त
महोदय उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा पाणित विवादित निर्णय दिनांक
२०-७-२००६ प्रकरण क्रमांक २४३/०७-०७ अपील , से असन्तुष्ट रहनु दखित
होकर निम्न वादार्थों पर निगमानी अन्तर्गत अवधि प्रस्तुत करते हैं :-

१- यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय द्वारा पाणित विवादित
त निर्णय विधि स्वयं विधान के विपरित होने से निरस्त किया जाने के
योग्य है ।

२- यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय कारण की परिस्थिति
पर मतिमति विचार किये बिना विवादित निर्णय प्रदान किया गया है ।

(Signature)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

122

290

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1058-एक/2009

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं निकाशाधिकारी आदि का नाम
30-08-2019	<p>आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 01-01-2016 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।</p> <p>(महेश चंद्र चौधरी) सदस्य</p>	

R